


2/250/2022

भोलीराम

बनाम

नत्थी वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
<p>26.08.2022</p>	<p>कील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। यह प्रार्थना पत्र जब पेश हुआ इसमें केवियटकर्ता पक्ष ने पूर्व में केवियट पेश की केवियट प्रस्तुतकर्ता की तरफ से एड0 श्री बलवीर चौधरी उपस्थित। प्रार्थी की ओर से सुभाषचन्द कठूमर एड0 के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनाये जाने का आग्रह किया गया। न्यायालय द्वारा दोनो उभय पक्षो को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया दोनो पक्षो के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के अनुसार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 399, वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात पर कोई निर्माण कार्य नही करें। यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज हो तो दिनांक 30.09.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेसा ले।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p> <p>29.8.22</p> <p>पत्रावली कात वकील प्रार्थी दिनांक - 1, 2 वी नत्थी वगैरा तारीख पेशी 30/09/22 को पेश की गई वकील अर्जनी 30/09/22 को सुना गयी। पत्रावली - 18 नत्थी वगैरा तारीख पेशी वकील प्रार्थी के पास जाया है। पत्रावली वास्ते उक्त पत्र 30/09/22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">SPOK</p>	

नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
---------------------	------------------------------------	---

21/10/22

कमुकाल 3079 खिमाय आगव के काण आदेश नही लिखाय, गका पत्रावली करते आदेश डि नौक 28/10/22 के पेस ची

उपस्थित अधिकारी
कमूर (अलवर) राज०

28/10/22

कमुकाल 3079 पत्रावली के तमगे उल्टे रेंडर अफ मोकान व विस्तार अधिकार पत्रावली की 0.50 पद मनन करने पर सायल अपने प्र० पत्र को साबित करने में समाल रहा है। प्र० पत्र पर 2022 में लीकाल किया जातो है मिथिया पृथक से लिखाया जाकर शरत के 0.50 पत्रावली में मल सुगाए होका नम्बर से 0.50 हो वाद हउकील किना उठिरेके लेका गण्डा के वस्तुना

उपस्थित अधिकारी
कमूर (अलवर) राज०